

सुशासन और अभिसरण विभाग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, सुशासन और सार्वजनिक मुद्दों के समाधान के लिये एक अलग “[सुशासन एवं अभिसरण विभाग](#)” बनाने का नरिणय लिया है।

प्रमुख बदि

- कैबिनेट की बैठक में नरिणय लिया गया कविभाग अब **ई-समीक्षा, ई-लोक सेवा गारंटी और डजिटल सचवालय** को शामिल करेगा, जो वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग का हिस्सा है।
- **छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नयिम** में संशोधन तथा **राष्ट्रीय शकिषा नीति 2020** के करयान्वयन को भी मंजूरी दी गई।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना** के तहत नया रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमज़ोर और नमिन वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिये पंजीयन की तथिभी बढ़ा दी गई है।

राष्ट्रीय शकिषा नीति (National Education Policy- NEP) 2020

परचिय:

- राष्ट्रीय शकिषा नीति 2020 का लक्ष्य “**भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना**” है। यह स्वतंत्रता के बाद से भारत में शकिषा के ढाँचे में कथिा गया तीसरा बड़ा बदलाव है।
 - इससे पहले दो शकिषा नीतियाँ **वर्ष 1968 और वर्ष 1986** में लाई गई थीं।

मुख्य वशिषताएँ:

- पूर्व-प्राथमिक स्कूल से **कक्षा 12 तक स्कूली शकिषा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच** सुनिश्चिती करना।
- **3-6 वर्ष** की आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शकिषा सुनिश्चिती करना।
- नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना **(5+3+3+4) क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 तथा 14-18 वर्ष** के आयु समूहों के अनुरूप है।
 - इसमें स्कूली शकिषा के चार चरण शामिल हैं: आधारभूत चरण (5 वर्ष), प्रारंभिक चरण (3 वर्ष), मध्य चरण (3 वर्ष) और माध्यमिक चरण (4 वर्ष)।
- **कला और वजिज्ञान के बीच**, पाठ्यक्रम तथा पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक धाराओं के बीच कोईकठोर **वभाजन नहीं**;
- बहुभाषिकता और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर ज़ोर।
- एक नए **राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, PARAKH (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिये ज्ञान का वशि्लेषण)** की स्थापना।
- वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिये एक **अलग लगी समावेशन नधि** एवं **वशिष शकिषा क्षेत्र**।